हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना
दिनांक 12-09- 2019

संख्या का0आ0 14/6/2019-3... –हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), की धारा 149 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 87 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियां), अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013, जो कि अधिसूचना संख्या का0आ0 38/ह0अ016/1994/धा0 87/2014 के द्वारा संशोधित की गई, में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात–

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियां), अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में,–

1. पैरा 2 में, मद ऊ में, उप–पैरा (xiii) के बाद, निम्नलिखित उप–पैरा रखा जायेगा, अर्थात:–

(xiv) ढाबा (ढाबे हेतू भू–उपयोग में परिवर्तन की अनुमति सहित अथवा भू–उपयोग में परिवर्तन हेतू अनुमति के लिए आवेदित राजमार्गों पर स्थित ढाबे) :–

क. सम्बन्धित शहरों के वर्ग के लिए कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थानों की दर का 50 प्रतिशत।

ख. सम्बन्धित शहरों के वर्ग के लिए ढ़ाबा क्षेत्र के अन्दर स्थित खाली भूमि पर वाणिज्यिक खाली भूमि की दर से।

आनन्द एम. शरण
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।